

Instructions Bulletin for the operation failure of the Month of Feb- 2024

No. IB/ETC/GZB/2023--24/10

1. - केस स्टडी -1

दिनांक	लोको न० / शेड	गाड़ी न०	मंडल
23.02.24	23721+23873	PCWD	दिल्ली
UOR/फेलियर विवरण	दिनांक : 23.02.24 को लोको स० 23721+23873 गाड़ी स० PCWD को हुयी समयहानि के सम्बन्ध में।		
लोको पायलट द्वारा की गई कार्यवाही / ट्रबल शूटिंग	दिनांक : 23.02.24 को लोको पायलट ने लोको स० 23721+23873 गाड़ी स० PCWD का चार्ज लिया। समय 04.18 HRS पर गाड़ी का प्रस्थान DLI के 12 A पर हुआ। समय 04:26 HRS पर DLI से गाड़ी का प्रस्थान हुआ। प्रथम न्यूट्रल सेक्शन आने पर लोको पायलट ने BLSN स्विच को ऑपरेट किया जिससे ट्रेलिंग लोको का पैंटोग्राफ बैठ गया। प्रथम न्यूट्रल सेक्शन पास करने के बाद गाड़ी की गति 3-4 KMPH तक आ गयी। जिससे लोको पायलट को आभास हुआ की लोको की हौलिंग पॉवर कमज़ोर हो गयी है। जैसे ही गाड़ी अगले न्यूट्रल सेक्शन पर पहुंची तो लोको पायलट ने लीडिंग लोको का VCB, VCB/DJ ओपन बोर्ड पर ओपन किया। परन्तु लोको न्यूट्रल सेक्शन के नीचे ही खड़ा हो गया। समय 04:33 मिनट पर लोको पायलट ने TLC को सूचित किया और बैक इंजन की मांग की समय 04:55 मिनट पर बैक इंजन साईट पर पहुंचा और समय 05:32 HRS पर गाड़ी का प्रस्थान हुआ।		
TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग / लोको पायलट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही			
गलत कार्य -	गलत कार्य - लोको पायलट को गाजियाबाद से गाड़ी स्टार्ट करने के बाद प्रथम ब्लॉक सेक्शन में ब्रेक पॉवर चैक करने के उपरांत गाड़ी का फ्री रोलिंग डाउन चैक करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए था की गाड़ी की फ्री रोलिंग औसत से कम है। दिल्ली में गाड़ी खड़ी होने के दौरान गाड़ी को रिलीज करना चाहिए था जिससे लोको पायलट असफल रहा। लोड स्टाल के बाद चुकी गाड़ी में मल्टीप्ल पॉवर लगी थी इसलिए लोको पायलट को ट्रेलिंग पॉवर को इनरजाइज करके सेक्शन क्लियर करना चाहिए था बजाय बैक इंजन को मांगकर।		

2. - केस स्टडी -2

दिनांक	लोको न० / शेड	गाड़ी न०	मंडल
22.02.24	39284/LDH	15707	दिल्ली
UOR/फेलियर विवरण	दिनांक : 22.02.24 को लोको स० 39284 गाड़ी स० 15707 को हुई समयहानि के सम्बन्ध में।		
लोको पायलट द्वारा की गई कार्यवाही / ट्रबल शूटिंग	दिनांक : 22.02.24 को लोको स० 39284 गाड़ी स० 15707 का समय 03:20 HRS पर दिल्ली से प्रस्थान हुआ। दूसरे न्यूट्रल सेक्शन (पुल मिटाई) पर ACP के कारण गाड़ी खड़ी हो गयी। जिसके बाद डीजल इंजन से गाड़ी को पुश किया गया। इसके बाद भी लोको पायलट लोको को समय 04:20 मिनट तक इनरजाइज करने में असफल रहा जिसके बाद UIC कपलर को डीटेच किया गया जिसके बाद समय 04:35 मिनट पर लोको नार्मल हुआ। समय 04:45 HRS पर गाड़ी का माईट से प्रस्थान हुआ।		
TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग / लोको पायलट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	--		
गलत कार्य-	लोको पायलट द्वारा ACP की सूचना देना तथा VCD की और ध्यान न देना गाड़ी का न्यूट्रल सेक्शन में रुकने का कारण बना।		

3. - केस स्टडी -3

दिनांक	लोको न० / शेड	गाड़ी न०	मंडल
15.02.24	30118/GZB	12031	दिल्ली
UOR/फेलियर विवरण	दिनांक : 15.02.24 को लोको स० 30118, गाड़ी स० 12031 को हुई समयहानि के सम्बन्ध में।		
लोको पायलट द्वारा की गई कार्यवाही / ट्रबल शूटिंग	दिनांक : 15.02.24 को लोको स० 30118, गाड़ी स० 12031 BZJT स्टेशन का थ्रू पास करना चुकी वहाँ 40 KMPH का ER था इसीलिए लोको पायलट ने गति को मेन्टेन करने के लिए लोको पायलट ने A-9 से ब्रेकिंग की परन्तु अधिक BP प्रेशर ड्राप होने के कारण गाड़ी BZJT-KUN के बीच खड़ी हो गयी। जिसके बाद गाड़ी को पूर्ण रूप से रिवीज करने के बाद गाड़ी का प्रस्थान समय 09:06 बजे हुआ।		
सामान्य / सहायक नियमानुसार / लोको पायलट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	--		
गलत कार्य :	लोको पायलट की ड्राइविंग तकनीक अच्छी न होने के कारण अनावश्यक रूप से गाड़ी को समयहानि हुई।		

4. - केस स्टडी -4

दिनांक	लोको न० / शेड	गाड़ी न०	मंडल
09.02.24	37380 /CNB	12418	दिल्ली
UOR/फेलियर विवरण	दिनांक : 09.02.24 को लोको स० 37380, गाड़ी स० 12418 को हुई समयहानि के सम्बन्ध में।		
लोको पायलट द्वारा की गई कार्यवाही / ट्रबल शूटिंग	दिनांक : 09.02.24 को लोको स० 37380, गाड़ी स० 12418 का गाजियाबाद स्टेशन पर समय 23:00 HRS पर प्लेटफॉर्म न० 2 पर आगमन हुआ चूकि: ट्रेन द्वारा ट्रैक सर्किट क्लियर नहीं हो पाया जिस कारण स्टार्टर ऑफ नहीं हो पा रहा था। पावर केबिन द्वारा सूचना देने पर गाई को सूचित करके ट्रैक सर्किट को क्लियर किया गया तत्पश्चात 23:10 मिनट पर गाड़ी का प्रस्थान हुआ।		
TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग / लोको पायलट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	--		
गलत कार्य -	लोको पायलट को इंजन बोर्ड पर लोको की पिछली कैब आने पर अपनी गाड़ी स्टार्टर सिगनल से पहले खड़ी करनी चाहिए थी जिससे की ट्रैक सर्किट क्लियर हो जाता और अनावश्यक 10 मिनट की समयहानि से बचाया जा सकता था।		

5. - केस स्टडी - 5

दिनांक	लोको न० / शेड	गाड़ी न०	मंडल
09.02.24	30165/GZB	12488	दिल्ली
UOR/फेलियर विवरण	दिनांक : 09.02.24 को लोको स० 30165, गाड़ी स० 12488 को हुयी समयहानि और फेलियर के सम्बन्ध में।		
लोको पायलट द्वारा की गई कार्यवाही / ट्रबल शूटिंग	दिनांक : 09.02.24 को लोको स० 30165, गाड़ी स० 12488 का गाड़ी का प्रस्थान SBB से समय 08:36 बजे हुआ। जिसके बाद लोको पायलट मुरादाबाद ने TLC NDLS को सूचित किया की लोको के व्हील न० 3 से असमान्य आवाज आ रही है। जिसके बाद गाड़ी का GZB स्टेशन के PF-2 पर समय 08:51 बजे आगमन हुआ। CC/GZB एवं तकनीशियन लोको पर पहुंचे परन्तु PF साइड होने के कारण व्हील को नहीं देखा जा सका जिसके बाद स्टार्टर सिगनल को ऑफ करके गाड़ी को स्टार्टर सिगनल से आगे रोका गया। व्हील न० 3,4 पर स्कैच मार्क पाए गए। SSE ट्रिप शेड द्वारा उसी लोको को allow कर दिया गया जिसके बाद समय 09:15 मिनट पर गाड़ी का प्रस्थान हुआ। DER स्टेशन पर लोको का हटाकर दूसरा लोको TLC TDL द्वारा लगाया गया।		
TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग / लोको पायलट द्वारा की जाने वाली सही कार्यवाही			
गलत कार्य :	लोको पायलट मुरादाबाद को स्किड मार्क की सूचना TLC MB को देनी चाहिए थी एवं यदि सूचना TLC/MB द्वारा TLC/NDLS को देनी चाहिए थी। जिस कारण गाड़ी को असमान्य समय हानि और फेलियर हुआ। लोको पायलट मुरादाबाद और TLC /MB DLI एरिया और NCR में हुयी समय हानि के लिए जिम्मेदार है।		

6. - केस स्टडी - 6

दिनांक	लोको न० / शेड	गाड़ी न०	मंडल
15.02.24	22965/BSL	16094	सम्बलपुर
UOR/फेलियर विवरण	दिनांक : 15.02.24 को लोको न० 22965, गाड़ी न० 16094 को हवी समस्यहानि के सम्बन्ध में।		
लोको पायलट द्वारा की गई कार्यवाही / ट्रबल शूटिंग	दिनांक : 15.02.24 को लोको न० 22965, गाड़ी न० 16094 का मानक नगर में प्रस्थान होते समय लोको पायलट ने रिपोर्ट किया की गाड़ी की गति 15 KMPH से अधिक नहीं बढ़ रही है और 8 नाच के बाद ऑटो रिग्रेशन हो रहा है। जिसके बाद लोको पायलट ने अमौसी स्टेशन पर गाड़ी को खड़ी करके बैटरी को रिमेट किया परन्तु अमौसी में चढ़ने के बाद भी यही समस्या आई तत्पश्चात होम शेड में बात करने पर पता चला की HSM स्विच '0' पोजीशन पर था जिसे '1' पर करके गाड़ी की गति सामान्य हो गयी। उपरोक्त घटना के चलते मानक नगर - अमौसी स्टेशन के बीच गाड़ी को 27 मिनट का विलंबन हुआ।		
TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग / लोको पायलट द्वारा की जाने वाली सही कार्यवाही टिप्पणी	--		
	गलत कार्य : उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की LPS ने शंटिंग के उपरान्त HSM स्विच को नार्मल नहीं किया तथा लोको पायलट को HSM स्विच से सम्बंधित ज्ञान के अभाव के कारण 27 मिनट की अनावश्यक समयहानि हुयी।		

7. - केस स्टडी - 7

दिनांक	लोको न० / शेड	गाड़ी न०	मंडल
25.02.24	13646+14806	DN/DMT/BOBYN	फिरोज़पुर
UOR/फेलियर विवरण	दिनांक : 25.02.24 को लोको न० 13646+14806, गाड़ी न० DN/DMT/BOBYN के विना कू के रोल डाउन करने के सम्बन्ध में।		
लोको पायलट द्वारा की गई कार्यवाही / ट्रबल शूटिंग	दिनांक : 25.02.24 को लोको न० 13646+14806, गाड़ी न० DN/DMT/BOBYN के लोको पायलट को KTHU स्टेशन मास्टर ने लोको को डेड करके गाड़ी को स्टेबल करने के लिए कहा। तत्पश्चात लोको पायलट ने दोनों लोको में हैण्ड ब्रेक लगाये और वुडेन वैज लगाये (2+2)। तथा गाड़ी के तीन वैगन में भी हैण्ड ब्रेक अप्नाई किये। अब जैसे ही अगला कू वहाँ पहुँचा गाड़ी न० 12752 के कू ने रिपोर्ट किया की गाड़ी न० DN/DMT/BOBYN विना कू के ही रोल डाउन हो रही है। जिसके बाद UCB स्टेशन पर 72 KM दूर गाड़ी को काफी प्रयास के बाद रोका गया।		
TSD के अनुसार ट्रबल शूटिंग / लोको पायलट द्वारा की जाने वाली सही कार्यवाही	रोलिंग डाउन / रोलिंग बैक से बचाव स्टेशन पर ठहरे डिब्बे/लोड/गाड़ी /लोको के सम्बन्ध में लोको पायलट/महायक लोको पायलट/गाई द्वारा की जाने वाली कार्यवाही - - लाइट इंजन को संरक्षित करने का तरीका - - पार्किंग ब्रेक / हैण्ड ब्रेक लगाये। - लोको के दोनों बोगी को वुडेन वैज के द्वारा सिक्थोर करे। - उपरोक्त दोनों कार्य करने के बाद लोको ब्रेक की रिक्वीज अवस्था में लोको का रोल डाउन न होना मूनिश्चित करे।		

- d. A-9, SA-9 को अग्लाई करे।
 - e. HBA को '0' पोजिशन पर करे।
2. इंजन लगी गाड़ी को संरक्षित करने का तरीका -
- a. दोनों SA-9, A-9 ब्रेक लगाये।
 - b. हैण्ड ब्रेक / पार्किंग ब्रेक लगाये।
 - c. गाड़ी के दोनों सिरों के कम से कम 6 बैगलों के हैण्ड ब्रेक लगाये।
 - d. इंजन में उपलब्ध लकड़ी के सुटको का उपयोग कर इंजन को संरक्षित करे।
 - e. झूटी के दौरान लोको पायलट इंजन को मानव रहित नहीं छोड़ेगा यदि किसी स्थिति में उसे इंजन को छोड़ना आवश्यक हो तो वह स्टेशन मास्टर / गार्ड मास्टर से लिखित प्राधिकार प्राप्त करेगा एवं उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के बाद ही इंजन को छोड़ेगा। स्टेशन/गार्ड को छोड़ने से पहले लोको पायलट और गार्ड को स्टेशन मास्टर / गार्ड मास्टर के पास रखे रजिस्टर में संयुक्त टिपण्णी दर्ज करनी चाहिए की लोड एवं इंजन नियमानुसार संरक्षित है।
3. जब गाड़ी ब्लॉक संवहन में दुर्घटना/विफलता/रुकावट अथवा किसी अन्य कारण से ठहरी हुयी है तो लोको पायलट/सहायक लोको पायलट/गार्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाही -
- a. लोको पायलट/सहायक लोको पायलट और गार्ड को सामान्य एवं सहायक नियम 5.23 में दिए गए प्रावधान के अनुसार इंजन के ब्रेको (A-9, SA-9 तथा हैण्ड ब्रेक) और गाड़ी के प्रत्येक सिरों के कम से कम 6 बैगलों के हैण्ड ब्रेक लगाने चाहिए।
 - b. हैण्ड ब्रेक अगले सिरों पर सहायक लोको पायलट द्वारा और पिछले सिरों पर गार्ड द्वारा लगाये जायेंगे। यदि किसी कारणवश गाड़ी गार्ड के बिना चलाई जा रही हो तो ऐसे मामले में गार्ड की झूटी का निर्वाह सहायक लोको पायलट के द्वारा किया जाना चाहिए। पैसेंजर गाड़ी के मामले में लोको पायलट द्वारा इंजन के ब्रेको का इस्तेमाल करने के अतिरिक्त गार्ड को SLR के हैण्ड ब्रेको का इस्तेमाल भी करना चाहिए।

संबंधित कार्य :

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है गाड़ी के कू, स्टेशन मास्टर एवं अन्य स्टाफ ने गाड़ी को पूर्ण तरीके से (हैण्ड ब्रेक, चैन और स्प्रेड द्वारा) स्टेबल नहीं किया साथ ही स्टेशन मास्टर ने भी गाड़ी का ठीक प्रकार से स्टेबल होना सुनिश्चित नहीं किया और परिणाम स्वरूप गाड़ी बिना कू के 72 किमी दूर चली गयी जो की सीधे तौर पर संरक्षा के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।



मुख्य लोको विरीषक / वि.प्र.के. गाजियाबाद



(सरताश कुमार)

(प्रधानाचार्य/वि.प्र.के./गा.बाद.)

पत्र सं० 232-विद्युत/वि.प्र.के./ट्रेनिंग-1

दिनांक - 28.03.2024

प्रतिनिधि :-

1. मुख्य विद्युत लोको अभियंता/उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली- सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य विद्युत अभियंता/भोबिलिटी, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली- सादर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/परिचालन/नई दिल्ली, लखनऊ - सादर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/कर्षण वितरण/मुरादाबाद, फिरोजपुर, अंबाला- सादर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।